<u>कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल</u>

क्रमांक / एफ–5 / 1105 / 2022 / 10–11 / 350 भोपाल, दिनांक 18/01/2024

प्रेषक :–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– डिण्डौरी एवं जबलपुर जिले में जबलपुर–कुण्डम–शहपुरा–डिण्डौरी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 के चौड़ीकरण एवं बायपास निर्माण हेतु वन मण्डल डिण्डौरी की 8.456 हेक्टेयर वनभूमि एवं वन मण्डल जबलपुर की 4.50 हेक्टेयर वनभूमि कुल 12.956 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPR 008/2022-BHO/ दिनांक 30.08.2023

––0––

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

<u>शर्ते–A</u>

1– शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की लागत राशि रू0 1,08,94,148 /– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 01.11.2023 को जमा की जा चुकी है।

2– शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि वन मण्डल डिण्डौरी की 1,21,48,482 /– एवं जबलपुर वन मण्डल की 55,28,655 /– कुल राशि रुपये 1,76,77,137 /– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 01.11.2023 को जमा की जा चुकी है।

3– शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि दिनांक 01.11.2023 को एड–हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

4– शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर जबलपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 16.01.2024 एवं डिण्डौरी का प्रमाण पत्र दिनांक 19.12.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

-2-

5— शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वन मण्डलाधिकारी से संपर्क कर रोड साइड प्लांटेशन स्कीम राशि रू.1,46,50,000/— तैयार की गई है, जो EPC कॉंट्रेक्टर के माध्यम से रोड साइड वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा, जिसका वचनपत्र संलग्न है।

6— शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि मार्ग निर्माण में खुदाई से निकलने वाली उपयोगी मिट्टी का उपयोग Embankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी को सड़क के किनारे निचले भाग में समतलीकरण में किया जावेगा। अनुपयोगी मिट्टी वनक्षेत्र में नहीं डाली जावेगी, इस संबंध में आवेदक संस्थान का वचनपत्र संलग्न है।

7— शर्त क्रमांक (7) के पालन में ई—ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 53546 है।

8— शर्त क्रमांक (8) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

9— शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया है।

10— शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्थान को कार्य करने की अनुमति जारी करने के उपरांत पृथक से प्रेषित की जावेगी।

शर्ते—B

1— शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2— शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।

3— शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

4— शर्त क्रमांक (4) से (18) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

18.01.24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ—5/1105/2022/10—11/351 भोपाल, दिनांक 18/01/2024

प्रतिलिपिः—

1— मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

2— वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, डिण्डौरी/जबलपुर/कटनी, मध्यप्रदेश।

3— कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

18.01.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल